

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख आज दिनांक माह वर्ष की
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम 1965 के अधीन गठित
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्, जिसका प्रधान कार्यालय लखनऊ में
है। जिसे एतद् पश्चात् “परिषद्” कहा गया है जिसका कार्य उसके आवास
आयुक्त के माध्यम से होता है और जिस पद का तात्पर्य और जिसमें जब
तक कि कोई बात प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उक्त परिषद् इसका पद धारक
उत्तराधिकारी और अभ्यर्पिती है और सम्मिलित है।

[2]

एक पक्ष और श्रीपुत्र श्री

निवासी—..... जिसके एतदश्चात पंजीकृत इच्छुक केता, कहा गया है और जिस पद का तात्पर्य और जिस में जब तक कि कोई बात प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उक्त पंजीकृत इच्छुक केता, उसके उत्तराधिकारी, विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक और प्रशासक से है और सम्मिलित है दूसरे पक्ष के बीच किया गया, यह प्रदर्शित करता है कि:-

[3]

चूंकि उक्त परिषद् भूमि की स्वामी है और उसने शहर/नगर गाजियाबाद तहसील **गाजियाबाद** जिला गाजियाबाद में मण्डोला नामक मुहल्ले के सैकटर—..... में स्व0 वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निर्मित प्रकार के फ्लैट संख्या—ए—..... का निर्माण व्यय एवं आनुपातिक समाविष्ट भूमि का कुल मूल्य है और चूंकि उक्त परिषद ने रु0—..... (रूपया मात्र) जिसका आधा रु0—..... (रूपया मात्र) होता है, के प्रतिफल स्वरूप उक्त सम्पत्ति संख्या—ए—..... को जिसका पूर्ण विवरण और जिसकी माप इस विलेख से संलग्न अनुसूची "क" में उल्लिखित है। (जिसे एतद्पश्चात उक्त सम्पत्ति के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) बेचने का प्रस्ताव किया है और चूंकि इच्छुक केता उक्त सम्पत्ति को परिषद् से उक्त मूल्य पर और इस विलेख में वर्णित निबन्ध और शर्तों के अधीन कर्य करने के लिए सहमत है।

[4]

अतएव अब रु०—..... (रूपयामात्र) धनराशि के प्रतिफलस्वरूप और सभी सम्बद्ध पक्षों के लिए इसमें समाविष्ट निबन्धन और शर्तों के अधीन परिषद् एतद् द्वारा मण्डोला योजना में स्थित सम्पूर्ण सम्पत्ति और संरचना सम्पत्ति संख्या..... जिसे नीचे दी गई अनुसूची में और अधिक पूर्णरूप से वर्णित किया गया है, इच्छुक क्रेता को उसे निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों के अधीन सर्वदा घृत करने के लिए विक्रय और अन्तरित करती है :—

- 1— परिषद को उक्त सम्पत्ति का जो ऐसे प्रयोजन के अनुसरण में जिसके लिए परिषद् का गठन किया गया था, एतद्वारा विक्रय किया गया हो, हस्तान्तरण करने का पूर्ण अधिकार और स्पष्ट प्राधिकार है।
- 2— एतद्वारा हस्तान्तरित उक्त सम्पत्ति समस्त भार से मुक्त है।
- 3— उक्त सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा इच्छुक क्रेता को प्रदत्त किया गया, अथवा किया जाना है।

[5]

4— इच्छुक केता उक्त सम्पत्ति को परिषद् द्वारा या उक्त परिषद् के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न किसी व्यवधान या बाधा के बिना ग्रहीत करेगा और उसको उपभोग करेगा।

5—यदि इच्छुक केता एतद द्वारा हस्तान्तरित उक्त सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसके किसी भाग से किसी पूर्ववर्ती भार ग्रस्तता, किन्हीं दावों या मांगों के कारण या उक्त परिषद् के त्रुटियुक्त हक के कारण वंचित किया जाय तो उक्त परिषद् इच्छुक केता को युक्तियुक्त सीमा तक हानि, क्षति और खर्च की क्षतिपूति करेगी।

6—उक्त सम्पत्ति का विक्रय कर दिया गया है और इच्छुक केता ने इसे उक्त परिषद द्वारा यथा प्रस्तावित भूखण्डों और मकानों के इच्छुक केताओं को पंजीकरण की योजना से संबंधित नियमों और अनुदेशों के अधीन कर्य किया है और इसमें ऐसे संशोधन या परिवर्द्धन किए जा सकेंगे जो समय—समय पर प्रस्तावित और लागू किये जायें जिनमें से कुछ नीचे उद्घृत किए जा रहे हैं:-

[6]

(क) सम्पत्ति का हस्तान्तरण इच्छुक केता को इसकी वर्तमान दशा में किया गया है और इच्छुक केता को बाद में किसी कारण से कोई शिकायत या आपत्ति नहीं होगी और न ही कोई दावा इस सम्बन्ध में स्वीकार्य होगा।

(ख) इच्छुक केता द्वारा सम्पत्ति का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा।

7— उक्त सम्पत्ति का विक्रय कर दिया गया है और इच्छुक केता ने इसे इस बात की स्पष्ट और पूरी समझदारी के साथ क्य किया है कि इच्छुक केता केन्द्रीय या राज्य सरकारों के किसी प्राधिकारी द्वारा परिषद से किसी धनराशि के लिए चाहे जो भी हो, दावा किए गये किन्हीं प्रभारों के आनुपातिक भुगतान के लिए सदैव देन दार रहेगा और यह कि इच्छुक केता उक्त परिषद की कालोनी में सड़कों, जल सम्पूर्ति, बिजली, सीवर और जल निस्तारण और किन्हीं अन्य सुविधाओं के अनुरक्षण और विनियम जैसी व्यवस्था के प्रभार के प्रति किसी अंशदान के लिए भी जैसी और जब अपेक्षा की जाय, देनदार

[7]

होगा और इच्छुक केता द्वारा परिषद् को देय ऐसी मासिक या वार्षिक धनराशि उक्त सम्पत्ति संख्या..... पर प्रथम प्रभार के रूप में होगी और परिषद् उक्त धनराशि को प्रतिशत (..... प्रतिशत) की दर से ब्याज सहित पंजीकृत केता से वसूल करने की विधिक रूप से हकदार होगी ।

8— पंजीकृत इच्छुक केता उक्त सम्पत्ति का उपयोग आवासीय प्रयोजन के सिवाय किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं करेगा / करेगी और वह विक्रय किये गये सम्पत्ति के सम्बन्ध में परिषद् के सभी अनुदेशों को सर्वथा अनुसरण करेगा / करेगी ।

[8]

9— इस विलेख के अधीन परिषद से इच्छुक केता का आवंटित भूमि में जिस पर उक्त **सम्पत्ति संख्या.....** स्थित है के अतिरिक्त अनुलग्न भूमि या उसके बगल में स्थित भूमि में किसी भी प्रकार का कोई हक संक्रमित नहीं होगा या संक्रमित नहीं समझा जायेगा ।

10— केता ने विलेख में दिये गये निबन्धन और शर्तों को ध्यान पूर्वक पढ़ लिया है और उसके पूर्णरूप से जानकारी है कि इस विक्रय विलेख के अधीन उसके द्वारा प्राप्त किये गये अधिकार सदैव विलेख में दिये गये निबन्धों और शर्तों के अधीन होंगे ।

[9]

जिसके साक्ष्य में श्री सम्पत्ति प्रबन्धक ने परिषद के लिए और उसकी ओर से और श्री केता ने स्वयं खरीदार की ओर से स्वेच्छा और सम्मति से किसी प्रभाव या प्रपीड़न के बिना, साक्षियों की उपस्थिति में एतदद्वारा अपने—अपने हस्ताक्षर किये ।

**vuqlwphßdP
fodz; dh xbZ lEifRr dh vuqlwph**

सीमाएं

फ्लैट संख्या.....

उत्तर ... संलग्न.....
पूर्व साइट.....
दक्षिण ...प्लान के
पश्चिम....अनुसार ...

क्षेत्रफल—..... वर्ग मी0
पूर्व संलग्न.....
पश्चिम..... . साइट
उत्तर प्लान.....
दक्षिणके अनुसार....

[10]

1—साक्षी :

- 1.हस्ताक्षर
2. नाम
3. पता

विक्रेता के लिए और उसकी ओर से

2—साक्षी :

- 1.हस्ताक्षर
2. नाम
3. पता

सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी
(कृते आवास आयुक्त)

1—साक्षी :

- 1.हस्ताक्षर
2. नाम
3. पता

केता के लिए और उसकी ओर से

2—साक्षी :

- 1.हस्ताक्षर
2. नाम
3. पता

1. हस्ताक्षर.....
2. नाम—,
निवासी—.....

[11]